न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 122/2020

1. रामसिंह पुत्र जोतराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. जोतराम पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
2. सुरेशकुमार पुत्र जोतराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
3. शाखा प्रबंधक ओबीसी बैंक शाखा गांधी बडी त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद सिंगाठिया : वादी
वकील श्री सुरेन्द्र गढवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 17-02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 34/36 के खसरा सं0 14 की 4.477है0, खसरा सं0 34/2 की 4.034है0 कुल 8.511है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 जोतराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता बालूराम की खातेदारी हुआ करती थी। बालूराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 जोतराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया व प्रतिवादी सं 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवायी गयी।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 रामसिंह पुत्र जोतराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम अलायला प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अलायला 2, जमाबंदी पुरानी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें

Scanned with CamScanner

वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने जिगासरी छोटी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 2 में वारिसप्रमाण पत्र में जोतराम के दो पुत्र रामसिंह व सुरेश कुमार के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 34/36 के खसरा सं0 14 की 4.477है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 जोतराम के नाम यथावत रखते हुए रोही जिगासरी छोटी के खाता सं0 34/36 खसरा सं0 34/2 की 4.034है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 जोतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही जिगासरी छोटी के खाता सं0 34/36 खसरा सं0 34/2 की 4.034है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 जोतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामसिंह व प्रतिवादी सं0 2 सुरेश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 122/2020

1. रामसिंह पुत्र जोतराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. जोतराम पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
2. सुरेशकुमार पुत्र जोतराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
3. शाखा प्रबंधक ओवीसी वैंक शाखा गांधी वडी त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाठिया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही जिगासरी छोटी के खाता सं0 34/36 खसरा सं0 34/2 की 4.034है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 जोतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को वहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि वैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामसिंह व प्रतिवादी सं0 2 सुरेश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner